

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर  
समक्षः— श्री एस० एस० अली  
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1647—चार/2008 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 13-10-2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2003-2004.

केशकली पटेल पुत्री रामभुनेश्वर पटेल  
पत्नी श्री बद्री प्रसाद पटेल  
निवासी ग्राम खूखडा तहसील  
रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

— आवेदक

विरुद्ध

बाबूलाल पटेल पिता दीनबन्धु कुर्मा  
निवासी ग्राम बेल्चना तहसील मैहर  
जिला सतना म0प्र0

— अनावेदक

.....  
श्री एस० पी० धाकड़, अभिभाषक, आवेदक  
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदक

.....  
आदेश  
(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित )

✓ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2008 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।



//2// प्रकरण क्रमांक निगरानी 1647-चार/2008

2-प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 28.7.2001 को स्वीकार कर पुनः विधिवत जांच करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में तहसीलदार ने बसीयतनामा को प्रमाणित मानते हुये अनावेक के पक्ष में दिनांक 17.4.03 को नामांतरण आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। जहां पर अपील को स्वीकार करते हयु अपीलयीन आदेश पारित कक्षा जिससे दुखित होकर बाबूलाल द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 13.10.08 को अपील स्वीकार की जिससे से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि बसीयतनामा दिनांक 6.12.93 को लिखी गयी है और बसीयतकर्ता की मृत्यु 28.5.98 को हुई है तथा 5 वर्ष तक जीवित रहने के दौरान बसीयतनामा पंजीकृत नहीं कराया गया उनका यह निष्कर्ष उचित नहीं है क्यों कि बसीयतनामा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है बल्कि बसीयत स्वरथ चित मन से तहरीर कराई गई हो तथा दो साक्षियाँ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वतः अपने आदेश में स्वीकार किया है कि बसीयत लेखक व साक्षी रामलखन का परीक्षण कराया गया है इससे स्पष्ट होता है कि बसीयत को प्रमाणित किया गया है। बसीयत यदि एक साक्षी द्वारा भी प्रमाणित की जाती है तो उसे प्रमाणित माना जावेगा। यह आशय अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निकाला गया है। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17.4.03 में पूर्णरूप से बसीयत को प्रमाणित माना है। साथ ही न्याय दृष्टांत एम० पी० डब्ल्य० एन 1989-234 तथा 1991 राजस्व निर्णय 176 के न्यायिक दृष्टांतों का भी हवाला देते हुये आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 13.10.08 स्थिर रखने योग्य है।

// 3 // प्रकरण क्रमांक निगरानी 1647-चार/2008

6-उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2008 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस० एस० अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश  
ग्वालियर